न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 45/2015

वादीः—

1. श्री बाघसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति रजपुत निवासी कानदरा तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली
2. जिला कलेक्टर, पाली

उपस्थितिः—

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

वाद अंतर्गत धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक – 09-07-2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88,89,92ए,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानदरा तहसील पाली के खसरा नंबर 61 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी की भूमि आई हुई है। जिस भूमि पर कब्जा काश्त वादी का वक्त टिनेन्सी लॉ लागू होने के रोज से आज दिन तक बतौर टिनेन्ट चला आ रहा है जिस भूमि का आगे दावे में वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि का भू—आंवटन सिवायचक होने से वरदा पुत्र काना व जस्सा पुत्र नेना कौम भांभी के नाम संवत् 2042 में भू—आंवटन कर दिया था। जिसके विरूद्ध वादी ने अपने कब्जे को आधार बताकर आंवटन निरस्त कराने हेतु जिला कलेक्टर, पाली को आवेदन किया। जो आवेदन राजस्व विधि संख्या 338/1993 प्रार्थी बाघसिंह बनाम अप्रार्थी वरदा वगैरह दर्ज होकर जिला कलेक्टर महोदय, पाली ने अपने निर्णय तारीख 25—03—94 के जरिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी वरदा व जस्सा का भू—आंवटन निरस्त किया और साथ में जिला कलेक्टर ने यह भी लिखा कि प्रार्थी का कब्जा रेकर्ड से स्पष्ट होता है कि संवत् 2010 से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में यह भूमि सिवायचक होने से उक्त भूमि का आंवटन कर दिया गया मगर मौके पर आंवटियों का कब्जा नहीं है। इस तरह जिला कलेक्टर की राय माफिक कब्जा वादी का संवत् 2010 कब्जा साबित है। वैसे तो उक्त भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नंबर 59 से चिपती हुई खसरा नंबर 61 है जो छोटी भू पट्टी के तौर पर नियमन नहीं करके आज दिन तक इस सिवायचक रखी है लेकिन प्राथमिकता के तौर पर व कानूनी आधार पर इसे वादी के पक्ष में नियमित किया जाना चाहिये जिसके लिए भी वाद प्राथमिकता रखता है। वादी ने इस भूमि को लगातार उपयोग व उपभोग में ले रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी इस भूमि से वादी को बेदखल नहीं किया गया। इसलिये कानूनी तौर पर पिछले 50—60 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त होने से टिनेन्सी प्रावधानों के तहत वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित करने की डिक्री दी जाना न्यायसंगत है। वादग्रस्त भूमि में इस वर्ष वादी ने रायड़े की फसल बो रखी है जिसे वादी काटने के लिये 30—03—2011 को गया तो प्रतिवादीगण का अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी मण्डली वादी के पास आया और कहा कि या तो इस भूमि को अपने नाम खातेदारी कराने की कार्यवाही कर लो वरना इसे अन्य को आंवटन कराने के लिये सिवायच भूमि की प्रतिवादीगण को सुची भेजनी पड़ेगी तथा जरूरत पड़ी तो फसल को भी कुर्क करना पड़ेगा तथा मौके पर बेदखल करना भी पड़ सकता है जिस पर वादी को अपने खातेदारी हक अधिकार प्राप्त करने हेतु व कब्जे में दखलंदाजी का अंदेशा पैदा होने से खातेदारी की उद्घोषणा के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी प्रतिवादीगण व उसके अधिनस्थ कर्मचारी कोई अपकृत्य नहीं करे व न ही अन्य से करावे जिसके लिये वाद घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। प्रतिवादी संख्या 01 राज्य सरकार की ओर से तहसील पाली का भूमिधारी है तथा प्रतिवादी संख्या 02 जिला कलेक्टर पाली लेकिन लोक सेवक होने के नाते वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस देना आज्ञात्मक प्रावधान है लेकिन नोटिस की अवधि दो माह की होने से नोटिस प्रतिवादीगण को दिया

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

जाता है तो प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि खड़ी फसल को कुर्क कर सकते है काटी हुई फसल को निलाम कर सकते है मौके पर भौतिक रूप से बेदखल कर सकते है तथा अन्य को आंवटन कराने की सिफारिश कर सकते है जिससे वादी को अकथनीय व असहनीय क्षति होने का अंदेशा है इसलिये मामले की गंभीर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये धारा 80 सी.पी.सी. की छूट हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 80(2) व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत अलग से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा पेश करने की छुट प्रदान हेतु अलग से आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 2 जिला कलेक्टर पाली राज्य सरकार की ओर से पाली जिले का प्रशासनिक व नियंत्रण अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 उसके अधिनस्थ अधिकारी है इसलिये जिला कलेक्टर को उक्त दावे में पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के तब पैदा हुआ जब वादी वादग्रस्त भूमि पर टिनेन्सी प्रावधान लागु होने के पहले से ही इस भूमि का उपयोग व उपभोग बतौर टिनेन्ट वादी कर रहा है फिर भी खातेदारी वादी को नहीं दी गई। इसके विपरित अन्य को आंवटन कर दी जिस आंवटन को भी वादी को खारीज कराना पड़ा और प्रतिवादी संख्या 01 का कर्मचारी हल्का पटवारी मण्डली ने तारीख 30–03–2011 को बेदखल करने, फसल कुर्क करने व निलाम करने की धमकी देने व अन्य को आंवटन कराने की सुची तैयार करने की बात कही जिस पर वादी को वाद मजबुरन खातेदारी उद्घोषणा व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश करना पड़ रहा है। आज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के निम्न तरह से पारित करावें कि ग्राम कानदरा के खसरा नंबर 51 रकबा 6 बीघा किस्म नहरी दोयम वार्षिक लगान 6/– रूपये की खातेदारी उद्घोषणा की डिकी वादी के पक्ष में पारित करावे व सिवाय चक की जगह वादी का नाम बतौर खातेदार कृषक की प्रविष्टी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी प्रदान करावें। वादग्रस्त कृषि भूमि जो वादी के आधिपत्य में है। उसमें प्रतिवादीगण दखलंदाजी नहीं करे फसल कुर्क व निलाम नहीं करे व न ही अन्य को आंवटन कराने की सिफारिश करे व न ही ऐसा अपकृत्य प्रतिवादीगण के अधिनस्थ कर्मचारी ही करे। ऐसी आज्ञाप्ति सदैव के लिये फरमावें।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानदरा के खसरा नंबर 61 रकबा 6 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर नियमानुसार बेदखल के साथ समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का प्रावधान है।

3. वाद में दिनांक 27–11–2012 को तनकियात निम्न प्रकार से कायम की गई:–

1. आया ग्राम कानदरा तहसील पाली में स्थित खसरा नंबर 61 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त टिनेन्सी लॉ लागू होने के रोज से आज दिन तक बतौर टिनेन्ट चला आ रहा है – (वादी)

2. आया वादी को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा अपने नाम करवा कर राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार कृषक की प्रविष्टि करवाने का अधिकार है – (वादी)

3. आनुतोष।

4. वाद में दिनांक 27–11–2012 को तनकियात कायम होने के पश्चात् वादी को लगातार शहादत पेश करने के अवसर दिये जाने के बावजूद गवाह को न्यायालय में उपस्थित रख बयान कलमबद्ध करवा पाने में असफल रहा है। वादी द्वारा दिनांक 20–12–2013 को मुख्य परिक्षण में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु गवाह को न्यायालय में उपस्थित रख कर शपथ–पत्र बयान की न तो पुष्टि करवा पाया तथा न ही वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित करवा पाने में सफल हुआ। वादी को शहादत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर एवं करीब 5 वष का समय दिये जाने के बावजूद शहादत पेश नहीं करने पर दिनांक 19–03–2019 को शहादत पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

5. अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक वादी ने निवेदन किया कि वादी के पिता का संवत् 2010 से वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जा कास्त चला आ रहा है तथा उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद वादी का लगातार कब्जा कास्त चला आने से टिनेन्सी प्रावधानों के तहत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने हेतु यह दावा पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि का पहले वरदा व जसा को आंवटन

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

कर दिया गया था जिसके विरूद्ध वादी ने श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय में नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (भू आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ) नियम, 1970 के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था तथा श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनाक 25-03-94 को निर्णय पारित कर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आवंटन का निरस्त कर दिया गया था। मैंने विपरित कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा हेतु दावा किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में वाद डिक्री किया जावे। इस सबन्ध मे आरबीजे 1994 पेज 50 की नजीर प्रस्तुत की।

7. सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजकीय सिवाय चक के रूप मे दर्ज है। वादी द्वारा जब भी उक्त भूमि पर कब्जा किया उसके विरूद्ध धारा 91 आर.एल. आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर उसे मौके से बेदखल कर जुर्माना आरोपित किया गया है। वादी का वाद विपरित कब्जे के आधार पर डिक्री नहीं किया जा सकता। इसलिए वाद को खारिज किया जावे।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में दो तनकियात कायम की गई जिसका विवेचन कर निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:-

तनकी संख्या 1:- आया ग्राम कानदरा तहसील पाली में स्थित खसरा नंबर 61 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी की भूमि पर वादी का कब्जा कास्त टिनेन्सी लॉ लागू होने के रोज से आज दिन तक बतौर टिनेन्ट चला आ रहा है - (वादी)

तनकी संख्या 1 को साबित करने का जिम्मा वादी पर रखा गया था। वादी द्वारा उक्त तनकी को साबित करने हेतु न तो 5 वर्षों में शहादत पेश कर पाया तथा न ही वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित करवा पाया। ऐसी स्थिति में वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये जाने के अभाव में नही पढे जा सकते। वादी तनकी संख्या 1 को साबित कर पाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

अतः तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 2:- आया वादी को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा अपने नाम करवा कर राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार कृषक की प्रविष्टि करवाने का अधिकार है - (वादी)

तनकी संख्या 2 को साबित करने का जिम्मा वादी पर रखा गया था। तनकी संख्या 1 को वादी साबित कर पाने में असफल रहने से विपरित कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस संबन्ध में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर वृहद्ध पीठ ने आरआरटी 2011 पेज 721 यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विपरित कब्जे के आधार पर धारा 88 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती।

अतः तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 3:- आनुतोष।

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय की गई है तथा वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर

यह आदेश आज दिनांक- 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर

डिकी बमुकद्ददमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्त सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 45 सन् 2015

वादीः–

1. श्री बाघसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति रजपुत निवासी कानदरा तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली
2. जिला कलेक्टर, पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर डिकी किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 07 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner